यह निरीक्षण आख्या **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के अवधि 08/2014 से 04/2016 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, एवं श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.05.16 से 20.05.16 तक श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में तक संपादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मो. सलीम खान, स.ले.प.अ. के द्वारा दिनांक 01.08.14 से 13.08.14 तक श्री रमेश मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 10/2012 से 07/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 08/2014 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1. श्री राम अवतार सिंह	09.09.2013 से 31.07.2015
2. श्री संजीव कुमार,	31.07.2015 से 03.08.2015
3. श्री सुशील मोहन डोभाल,	03.08.2015 से 04.12.2015
4. अनुराग शंखधर	04.12.2015 से वर्तमान तक।

ब. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

क्र.सं.	**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष**	**प्रस्तर संख्या**		
		भाग-2 अ	**भाग-2 ब**	**स्टैन**
लेखापरीक्षा ज्ञाप सं. 41 द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया कि शीघ्र ही महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।				

स. सतत् अनियमिततायें - शून्य

द. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) - चयनित माह 03/2015 एवं 03/2016 के ` 3119.67 लाख एवं ` 1991.59 लाख के वाउचर्स प्रस्तुत न किया जाना।

6. बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	1290.53	1281.93	6392.05	6374.56
2014-15	1798.10	1791.19	11581.69	11465.57
2015-16	858.71	788.84	6782.24	5900.98

भाग-दो (ब)

प्रस्तर -1 : भारत सरकार के दिशा -निर्देशों के विपरीत ` 2.61 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को सत्यापन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना किया जाना।

भारत सरकार की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (अनु. जाति) के प्रस्तर-v(iii) के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों हेतु फ्री एवं पेड सीट (free and paid seat) के सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्रो को राज्य/केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क ढाचें के अनुरूप भुगतान की गयी नान-रिफन्डेबल शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्रों को की जायेगी, परन्तु शुल्क की प्रतिपूर्ति के पूर्व राज्य सरकार द्वारा पेड सीट के विरूद्व नामांकित छात्रों के परिवार की वार्षिक आय का सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान के पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। (शासनादेख जुलाई 2006, नवम्बर 2014 जिसके अनुसार छात्रों की आय, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र आदि की जांच/सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया कि इकाई वर्ष 2014-15 चैक संख्या 231833 द्वारा (दिनांक 17.09.2014) 221 छात्रों को ` 1,13,35,600 की छात्रवृत्ति की धनराशि तथा चैक संख्या 231828 (दिनांक 17.09.2014) द्वारा 313 छात्रों की धनराशि ` 1,48,02,301 की धनराशि का भुगतान छात्रों के बैंक खातों में किया गया।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपनी सत्यापन संबंधी जाँच रिपोर्ट में फ्री एवं पेड सीट अर्थात छात्रों का नामांकन संस्थान में मैनेजमेन्ट कोटे अथवा काउन्सिलिंग कोटे, किस श्रेणी में हुआ तथा विगत परीक्षा में उत्तीर्ण होने संबंधी तथ्यों का सत्यापन नहीं किया गया। इस प्रकार इकाई द्वारा बिना उक्त तथ्यों का सत्यापन किये ` 2,61,37,900 की छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को किया गया।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि सत्यापन का कार्य सहा. समाज कल्याण अधिकारी (ए.एस.डब्ल्यू.ओ.) द्वारा किया जाता है जिसमें उनके द्वारा विद्यालयों में जाकर छात्रों के नाम, पिता का नाम, आय संबंधी प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र पत्रों की जांच की जाति है। तथा मैनेजमेन्ट काउन्सिलिंग कोटा तथा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण संबंधी सत्यापन कार्य को भविष्य में शामिल किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के पैरा v(iii) के अनुसार राज्य सरकार पेड सीट के विरूद्ध नामांकित छात्रों की वार्षिक आय का सत्यापन किया

जाना अनिवार्य है तथा इकाई द्वारा मैनेजमेन्ट तथा काउन्सिलिंग कोटे की श्रेणी के अनुसार तथा विगत परीक्षा में उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया।

इस प्रकार इकाई द्वारा ` 2.61 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान सत्यापन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना किया गया।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- शासनादेश के विपरीत शिक्षण शूल्क का अतिरिक्त ` 5.64 लाख भुगतान किया जाना।

The Fee structure committee of the State Government decided tuition fee for different courses of different institution time to time in addition ot the above, the fee structure committee at the State Government decided (July 2010) that the institutions may charge additional tution feee of the ` 12,000/- by implementation of VI pay commission recommendation to their employees. For enactment of the, enhancement of tuition fee, a institution had to provide a list of beneficial employees alongwith their pay slip, bank statement and got it countersigned by the charted accountant or head of institution before submission of the same to the State Government as well as to the technical university.

छात्रवृत्ति संबंधी लेखा अभिलेखों की जांच में पाया कि वर्ष 2013-14 में, जे.बी. इन्स्ट्रीटयूट ऑफ टेक्नोलोजी, देहरादून अनुसूचित जाति के 47 छात्रों को B.Tech कोर्स हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत निर्धारित Tuition fee की धनराशि ` 50,000/- में अतिरिक्त वृद्धि ` 12000/- के साथ scholarship ` 5500/- सहित ` 67500/- प्रति छात्र की दर से कुल ` 31,72,500/- भुगतान किया गया। सम्प्रेक्षा द्वारा आगे पाया कि उक्त 47 छात्रों को Tuition Fee के मद में ` 50,000 से बढ़ाकर ` 12000/- सहित ` 62,000/- की दर से बिना पे. स्लिप, बैंक स्टेटमेंट के साथ, चार्टेड एकाउटेंट एवं संस्था के निदेशक द्वारा प्रतिगस्ताक्षीत छाया प्रति उत्तराखण्ड शासन तकनीकी विश्व विद्यालय को पलब्ध करावें, बिना छठे वेतनमान किये शिक्षण संस्था, जे.बी. इन्स्ट्रयूट ऑफ टेक्नोलाजी देहरादून को अतिरिक्त अधिक ` 5.64 लाख का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

वर्ष	कैटेगरी	छात्रों की सं.	भुगतोनित धनराशि	अनुमन्य देय धनराशि	अतिरिक्त अधिक भुगतान
2013-14	SC	47	67500 प्रतिछात्र	55500/- प्रतिछात्र	47×12000=`5.64 लाख

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर DSWO Dehradun द्वारा बताया गया कि शिक्षण संस्थान के द्वारा अपने संस्थान में छठा वेतनमान आयोग लागू कियेजाने का प्रमाण

पत्र दिया गया था जिसके कारण संस्थान में अध्ययरत छात्रों ` 12000/- का भुगतान किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संस्थान द्वारा सिर्फ प्रमाण पत्र (undertaking) दिया गया जबकि शासनादेश द्वारा निर्धारित, पेनस्लिप, बैंक स्टेटमेंट को चार्टेड एकाउन्टेट व संस्था के निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षीत छायाप्रति उत्तराखण्ड शासन/तकनीकी विश्व विद्यालय को Documentary evidance अभिलेख साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। तभी Tuition fee की निर्धारित दर से ` 12000/- बढ़ाकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था जो शिक्षण संस्था, जे.बी. इन्ट्रीटूट द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया सिर्फ Undertaking पर भुगतान अधिक किया गया।

इस प्रकार शासनादेख के विपरीत, शिक्षण शुल्क का अतिरिक्त ` 5.64 लाख का भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- पी.जी.डी.एम. (PGDM) कोर्स के लिए शिक्षण शुल्क ` 42.37 लाख का अनियमित भुगतान किया जाना।

GOI Guidlines stipulates that compulsory non refundable fee charged by Institution for recognise courses can be reimbursed as per fee structure approved by the State Government authority. The State Government instructed (August 2014) to all the DSWOs of the department not to reimburse tuition free of PGDM course until the free structure of said course is decided by the State Government authority.

दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में शिक्षण संस्था एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, देहरादून के अनुसूचित जाति के 44 छात्रों को PGDM कोर्स हेतु ` 96300/- (91000 (ट्यूशनफीस)+5300(स्कालरशीप) की दर से ` 42,37,200/- का भुगतान बिना राज्य सरकार के फीस कमेटी की स्वीकृति के उक्त शिक्षण संस्था के छात्रों को (02/2014) में भुगतान किया गया। यद्यपि, शासनादेश (अगस्त 2014) द्वारा समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया था। PGDM कोर्स हेतु अनुसूचित अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति करने मामलें में जब तक शुल्क प्रतिपूर्ति नीति शासन द्वारा नीति निर्धारित नहीं हो जाती तब तक PGDM कोर्स हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान न किया जाए। इस प्रकार, DSWO, Dehradun द्वारा PGDM कोर्स हेतु, बिना शासन द्वारा स्वीकृत Free Structure के 96300/- की दर से कुल ` 42.37 लाख का अनियमित भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर DSWO, Dehradun द्वारा बताया गया कि चूँकि शैक्षणिकि संस्था द्वारा (ट्यूशनफीस) 31000 की माँग की गयी थी जिसके कार्म उन्हें 91000 का भुगतान किया गया लेकिन उक्त शासनादेश (अगस्त 2014) जारी होने के पश्चात किसी छात्र को भुगतान नहीं किया गया है, पूर्व में भुगतान छात्रों के खातों में किया गया है जिसकी वसूली असम्भव नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन स्तर से PGDM कोर्स की शुल्क निर्धारण नहीं होने पर DSWO, देहरादून द्वारा भुगतान नहीं की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार, पी.जी.डी.एम. (PGDM) कोर्स लिए शिक्षण शुल्क ` 42.37 का अनियमित भुगतान किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर- 4- वित्तीय नियमों के विपरीत दशमोत्तर छात्रवृत्ति की धनराशि ` 1.84 करोड़ अवरूद्ध रखना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका V के नियम 162 के अनुसार शासकीय खाते से कोई भी धनराशि तब तक आहरति नहीं की जानी चाहिए जब तक इस धनराशि को भुगतान हेतु तुरंत आवश्यकता ना हो।

छात्रवृत्ति संबंधी लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान, दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लाभार्थियों को वितरित छात्रवृत्ति धनराशि को शिक्षण संस्था द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून को ` 1.84 करोड़ वापस किया गया जिसे आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ना तो अवशेष लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की धनराशि (11234) अवशेष लाभार्थियों को वितरित की गयी ना ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासन/निदेशालय को समर्पित की गयी बल्कि नियम विरूद्ध बैंक में अवरूद्ध रखी गयी जिसका विवरण निम्नवत है।

वर्ष	वापसी प्राप्त धनराशि		बैंक में जमा धनराशि का विवरण
	SC	OBC	
2013-14	3586374.00	843620.00	Indian overseas Bank, Dehradun A/C No. 148902000000252
2014-15	8989449.75	2868630.00	
2015-16	1820054.00	291965.00	
कुल योग	14395877.75	4004215.00	18400093.00

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर DSWO Dehradun द्वारा बताया गया कि शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि शिक्षण संस्था को आवंटित की गयी थी लेकिन तत्समय छात्रों के द्वारा कॉलेज/विद्यालय छोड़ने के कारण छात्रवृत्ति की धनराशि वापिस की जाती है जिसे प्राप्त धनराशि को निदेशालय को वापस न कर उक्त शिक्षण संस्था द्वारा जिनकी माँग कार्यालय में प्राप्त होती है उन्हें भुगतान किया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमों के अनुसार जब तक धनराशि की आवश्यकता भुगतान हेतु आवश्यक ना हो तो शासकीय खाते से आहरति नहीं की जानी चाहिए थी इसके अलावा वापसी प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि (11234) अवशेष लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित कर उपयोग की जानी चाहिए थी नही तो शासन को समर्पित की जानी अपेक्षित थी जिसे DSWO, Dehradun द्वारा उक्त नियमों का उल्लंघन कर बिना उपयोग किये बैंक में अवरूद्ध रखी गयी।

इस प्रकार, विभागीय नियमों के विपरीत, दशमोत्तर छात्रवृत्ति की धनराशि ` 1.84 करोड़ अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-5- बिना फीस स्ट्रक्चर स्वीकृति के स्कालरशीप ` 16.74 लाख का अनियमित भुगतान किया जाना।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति की मार्गदर्शिका के प्रस्तर (VIII) के अनुसार, Compulsory non-refundable fee charged by institutions for recognised courses canbe re-imbursed as per the structure approved by the competent state Government authority. Fee structure Duly approved by the Technical Education, Higher Education and medical Education Department is reimbursable to the Students enrolled in the recognized institution.

छात्रवृत्ति संबंधी लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 में शिक्षण संस्था, Institution of Media Management and Technology, Dehradun के 32 छात्रों को भिन्न-भिन्न कोर्स के लिए, ` 16.74 लाख का भुगतान, बिना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के फीस स्ट्रक्चर कमिटी द्वारा स्वीकृति किये छात्रवृत्ति प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र.सं.	शिक्षण संस्था का नाम	कैटेगरी	कोर्स का नाम	छात्रों की सं.	छात्रों की दर	भुगतानित धनराशि
1.	Institute of Media Management and Technolgoy Dehradun	SC	MA in Mass Communication	17	58300	991100
			Management of BBA (H.M)	09	53300	479700
			Management of BBA (H.M)	02	48300	96600
			Master of International Business	01	58500	58500
			BBA Business Admn.	01	48300	48300
कुल योग						**` 16.74 लाख**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर DSWO, Dehradun अवगत कराया कि फीस स्ट्रक्चर की स्वीकृति कराने हेतु शिक्षण संस्था द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा, फीस स्ट्रक्चर की स्वीकृति नहीं किया गया इसलिए शिक्षण संस्था द्वारा स्वयं निर्धारित शिक्षण की दर से भुगतान किया गया था। उक्त मान्य नहीं है क्योंकि शिक्षण शुल्क का भुगतान बिना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के फीस स्ट्रक्चर कमिटी द्वारा स्वीकृति के ` 16.74 लाख का भुगतान किया गया।

इस प्रकार बिना फिस स्ट्रक्चर स्वीकृति के स्कालरशीप ` 16.74 लाख का अनियमित भुगतान किया जाना का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-6- धनराशि ` 11.04 करोड़ की बैंक खाते में अवरूद्ध रखना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमावली खण्ड 05 के नियम 162 यह कहता है कि धनराशि कोषगार से तब आहरति किया जायेगा जब उसकी आवश्यकता हो।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि कार्यालय के कुल 08 बैंक खातें में ` 11,03,69,824=57 की धनराशि अवरूद्ध रखी गयी है।

जब लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा उक्त धनराशि को समर्पण क्यों नहीं किया गया तो उत्तर में बनाया गया कि धनराशि को आवश्यकता अनुसार व्यय की कार्यवाही की जा रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा वित्तीय नियमावली के विरूद्ध किसके आदेशानुसार उक्त धनराशि को बैंक में अवरूद्ध रखा गया पूछने पर कार्यालय ने उत्तर में विभागीय आवश्यकता का कारण ही बताया गया।

अतः वित्तीय नियमावली का अवहेलना करके धनराशि ` 11.04 करोड़ की राशि की बैंक में अवरूद्ध रखने के प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-7- छात्रवृत्ति के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते में ` 1.55 लाख की अधिक धनराशि का अनियमित भुगतान।

भारत सरकार के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ता, छात्रों द्वारा देय नॉन रिफन्डेबल शुल्क शिक्षण शुल्क तथा छात्रों के विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है। भारत सरकार द्वारा अनुरक्षण भत्ते की दरें विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु डे-स्कालर एवं हास्टलर हेतु अलग-अलग निर्धारित की गयी है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के अन्तर्गत अनुरक्षण भत्तें की मद में अधिक भुगतान किया गया है। इकाई द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 67 लाभार्थियों को ` 1,55,280 का अधिक भुगतान किया गया। विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	अनुमन्य छात्रवृत्ति (शिक्षण शुल्क+अनुरक्षण भत्ता)	भुगतानित धनराशि	अन्तर	छात्रों की संख्या	कुल अधिक भुगतान की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	चन्द्र सिंह गढ़वाली सुभारती	3 वर्षीय डिप्लोमा पोलीटेक्निक पाठ्यक्रम	37300 (35000+2300)	40300	3000	2	6000
(2)	नादर्न इस्ट्रीटयूट ऑफ मैनेजमेंट, झॉझरा	तदैव	37300	40300	3000	5	15000
(3)	एल्पाइन ग्रुप ऑफ इस्ट्रीटयूट	तदैव	तदैव	तदैव	3000	3	9000
(4)	ब्लू माउन्टेन्स कॉलेज	तदैव	तदैव	तदैव	3000	12	36000
(5)	शिवालिक कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग	तदैव	तदैव	तदैव	3000	4	12000
(6)	दून इस्टी. ऑफ इन्जीनियरिंग	तदैव	तदैव	तदैव	3000	7	21000
(7)	श्री देव भूमि इस्ट्रीटयूट	तदैव	तदैव	तदैव	3000	4	12000

(8)	जे.बी. इस्ट्रीटयूट	तदैव	37300	40300	3000	12	36000
(9)	आई.टी.आई. राजपुर रोड़	आई.टी.आई. डिप्लोमा	37300	37760	460	18	8280
कुल योग						**67**	**` 1,55,280**

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य में डिप्लोमा कोर्सेज के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति की दर से भुगतान किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छात्रवृत्ति के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर देय है तथा इकाई द्वारा अधिक भुगतान की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान लाभार्थियों को किया गया।

अतः अनुरक्षण भत्ते के रूप छात्रवृत्ति के अधिक भुगतान ` 1.55 लाख का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-8- वर्ष 2014-15 में 2397 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रखा जाना।

दशमोत्तर छात्रवृत्तियोजना (अनु. जाति) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में इकाई द्वारा ` 2120.89 लाख की धनराशि की मांग कुल 11,652 लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने की गयी। जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के उक्त मांग के सापेक्ष ` 1710.86 लाख की धनराशि आवंटित की गयी। इकाई द्वारा ` 1708.804 की धनराशि व्यय करते हुए कुल 9,255 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष के अंत में ` 2.056 लाख की धनराशि समर्पित की गयी जबकि वर्ष में 2397 लाभार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से जनपद में वंचित रहे।

इस संबंध में लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि धनराशि मार्च माह के अंतिम सप्ताह में प्राप्त होने के कारण आहरित नहीं की जा सकी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई को उसकी मांग के अनुरूप धनराशि आवंटित की गयी थी परन्तु उसके द्वारा सम्पूर्ण आवंटित धनराशि को वर्ष व्यय नहीं किया जा सका तथा ` 2.056 लाख की धनराशि समर्पित की गयी, परिणामस्वरूप वर्ष में 2397 लाभार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रहे।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-9- अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की धनराशि ` 19945/- का अनियमित भुगतान।

वर्ष 2015-16 के अंतर्गत Online छात्रवृत्ति की वितरण संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया कि भिन्न-2 शिक्षण संस्था के तीन छात्र/छात्रा को एक ही शैक्षणिक Session में, Board Roll Number अन्य तीन छात्र/छात्रा का एक समान होने के बाद भी DSWO, द्वारा बिना सहयापित किये छात्रवृत्ति की धनराशि ` 19945/- का अनियमित भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवद है-

क्र.सं.	शिक्षण संस्थान का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	कैटेगरी	भुगतानित धनराशि	बोर्ड शैल नम्बर
(1)	DAV PG College Dehradun	Kumari Seema	SC	4745	0037474
(2)	State School of Nursing, Dehradun	Vikash Kr. Saini	OBC	5600	0013839
(3)	-do-	Harendra Kour	OBC	9600	0149764
				` 19945/-	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर DSWO, Dehradun द्वारा बताया गया कि जांचोपरांत संबंधित लाभार्थी से धनराशि वापिस की कार्यवाही की जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि IT Cell, Dehradun द्वरा Email के माध्यम DSWO, Dehradun को (दिनांक दिसम्बर 19, 2015) उक्त छात्र/छात्रा का एक ही शिक्षण संस्था,एक ही वर्ष में, Uttarakhand Board Passing Roll Number एक समान पाय जाने पर Suspecious applicants मानते हुए सत्यापन कर भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, फिर भी DSWO, Dehradun द्वारा बिना सत्यापन सुनिश्चित किये उक्त तीन छात्र/छात्राको छात्रवृत्ति की धनराशि ` 19945/- का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस प्रकार अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की धनराशि ` 19945/- का अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-10- दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में बिना सत्यापन किये धनराशि ` 20.62 लाख का भुगतान।

कार्यालय जिला समाज कल्याम अधिकारी, देहरादून के दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधित अभिलेखों की जांच में देखा गया कि निम्नलिखित दो कालेज को वर्ष 2013-14 में बिना सत्यापन किये छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया-

(1) वर्ष 2013-14 में गुरू राम राय कालेज, देहरादून के 206 पिछड़ी जाति के छात्र - छात्राओं को पत्र सं.- 6948/सः कः/पिछड़ी जाति/छात्रवृत्ति चैक दिनांकः- 26/03/2014 द्वारा धनराशि ` 3,28,000.00 का भुगतान किया गया था।

(2) वर्ष 2013-14 में महिला इंजिनियरिंग कालेज, देहरादून के 30 पिछड़ी जाति की छात्राओं को ` 57,800.00 छात्रवृत्ति के दर से कुल धनराशि ` 17,34,000.00 का भुगतान किया गया था।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सः- 694/xvii(1)/2006 दिनांक 25/07/2006 द्वारा राज्य के सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी को सत्यापन संबंधित निर्देश दिये गये थे।

सम्प्रेक्षा में उपरोक्त विषय पर पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया चूंकि उपरोक्त दो कालेज राजकीय कालेज श्रेणी में है, अतः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। परन्तु शासनादेश के अनुसार की आवश्यकता नहीं है। परन्तु शासनादेख के अनुसार छात्रवृत्ति की भुगतान सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त ही किया जा सकता है। अतः उपरोक्त दो कालेजों की कुल छात्रवृत्ति की भुगतान राशि (` 3,28,000+` 17,34,000) =` 20,62,000/- को अनियमित भुगतान के रूप में पाया गया।

तथ्य को उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-11- शादी-विवाह योजना में ` 31.00 लाख की अधिक भुगतान।

कार्यालय जिला समाज अधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान शादी-विवाह की अभिलेखों की जांच में देखा गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों में पुत्री के विवाह हेतु एक मुश्त ` 20,000.00 का आर्थिक सहायता को शासन के पत्र सः- 1919/xvii-1/2013-01(98)/2011 दिनांक 25/06/2013 द्वारा बढ़ाकर ` 50,000.00 किया गया था जो कि तत्काल प्रभाव से लागू था, जिसकी अवहेलना करते हुये कार्यालय के तरफ से वर्ष 2013-14 में कुल 62 लाभार्थियों को जिनका विवाह दिनांक 25/06/2013 से पूर्व निर्धारित कुल ` 31,00,000.00 का आर्थिक भुगतान किया गया।

सम्प्रेक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर धनराशि का भुगतान किया गया है तथा लाभार्थियों का चयन शासनादेख निर्गत होने के पश्चात किया गया एवं पुत्रियों की विवाह वर्ष 2013-14 में ही हुआ है, इसके कारण उक्त धनराशि प्रदान की गयी।

कार्यालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेख माह जून 2013 में निर्गत किया गया था जबकि यह तत्काल प्रभाव से लागू होना था जबकि लाभार्थियों का विवाह दिनांक 25 जून 2013 से पहले हुआ था।

अतः विवाह योजना में ` 31.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि के भुगतान को प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित की गयी कि उनकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)